

दिनांक ..... को सम्पन्न परिवार समिति की बैठक की कार्यवाही।

पथ प्रमण्डल, ढाका अन्तर्गत पथ आस्तियों के अनुरक्षण हेतु दीर्घकालीन निष्पादन और उपलब्धि आधारित पथ आस्तियाँ अनुरक्षण संविदा (Long Term Output & Performance Based Road Asset Maintenance Contract) प्रणाली के तहत राज्य अन्तर्गत Package No.-02B/OPRMC-III कार्य की निविदा के तकनीकी बीड में प्राप्त परिवार पर विभागीय पत्रांक-2217(E) दिनांक-01.04.2026, पत्रांक-2360(E) दिनांक-09.04.2026 एवं पत्रांक-5625(E) दिनांक-17.08.2026 द्वारा गठित समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:

- श्री उमा कान्त रजक, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- श्री अभिषेक पलासिया, संयुक्त सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- श्री राजेश कुमार गुप्ता, मुख्य अभियंता, संविदा प्रबंधन, नीतिगत मामले एवं लेखा परीक्षा, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- श्री सुनील कुमार सुमन, मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

2. दिनांक-13.08.2026 को आहूत तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की कार्यवाही, जो उपभागीय ज्ञापांक-2460 दिनांक-13.08.2026 द्वारा संसूचित है, में लिये गये निर्णय के विरुद्ध प्राप्त परिवार पर मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-2579(अनु०) दिनांक-24.08.2026 के माध्यम से परिवार पर दिनांक-21.08.2026 को आहूत तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की कार्यवाही एवं अनुशंसा के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

- 2.1 कार्य का नाम एवं पैकेज संख्या : पथ आस्तियों के अनुरक्षण हेतु दीर्घकालीन निष्पादन और उपलब्धि आधारित पथ आस्तियाँ अनुरक्षण संविदा (Long Term Output & Performance Based Road Asset Maintenance Contract) प्रणाली के तहत राज्य अन्तर्गत Package No.- 02B/OPRMC-III
  - 2.2 योजना मद : 3054
  - 2.3 निविदा आमंत्रित करने वाले प्रमण्डल का नाम : पथ प्रमण्डल, ढाका
  - 2.4 प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग : ₹13437.22 लाख।  
विभागीय ज्ञापांक-3247(एस०) दिनांक-12.05.2026
  - 2.5 तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग : ₹15216.94 लाख।  
मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का ज्ञापांक-1608(अनु०) दिनांक-23.05.2026
  - 2.6 ECV/परिमाण विपत्र की राशि : ₹12522.41421 लाख।
  - 2.7 कार्य समाप्ति की अवधि : 84 (Eighty-four) Months.
  - 2.8 निविदा की प्रक्रिया : ई-टेंडरिंग (MBD)
  - 2.9 निविदा प्राप्ति की तिथि : 03.07.2026
  - 2.10 प्राप्त निविदा क्या पुनर्निविदा है यदि हाँ तो कारण : पुनर्निविदा नहीं है।
3. विषयांकित निविदा में निम्नलिखित 03 (तीन) संवेदकों द्वारा भाग लिया गया :-

(1) Bhartia - Barhonia 'JV'  
(3) M/s Vinod Kumar Jain

(2) Rishi Builders (India) Pvt. Ltd.



4. उपभागीय ज्ञापांक- 2460, दिनांक- 13.08.2026 द्वारा संसूचित दिनांक-13.08.2026 को सम्पन्न तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक में उक्त निविदा में सभी निविदाकार यथा (i) Bhartia - Barhonia 'JV' को MBD के ITB Clause-17 एवं NIT के क्रमांक- 18 के आलोक में, (ii) Rishi Builders (India) Pvt. Ltd. को MBD के Section 3: Clause 1.2.3, Section 4E.10 एवं NIT के क्रमांक - 39 के आलोक में एवं (iii) M/s Vinod Kumar Jain को MBD के Section 3: Clause 1.2.3, Section 4E.10 एवं NIT के क्रमांक - 39 एवं NIT के क्रमांक- 28 के आलोक में तकनीकी बीड में असफल घोषित किया गया।

साथ ही प्रथम बार आमंत्रित निविदा के तकनीकी बीड में सभी निविदाकार के असफल होने के फलस्वरूप बिहार लोक निर्माण संहिता के नियम- 163 के आलोक में पुनर्निविदा आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया, बशर्ते विभागीय आदेश-141-सह-पठित ज्ञापांक-5355 (S) दिनांक- 28.10.2021 के आलोक में निर्धारित अवधि (दो कार्य दिवस) में इस निविदा में शामिल किसी निविदाकार का परिवाद/आपत्ति प्राप्त न हो। यदि परिवाद प्राप्त होता है, तो सक्षम स्तर से परिवाद निष्पादन के उपरांत ही अग्रतर कार्रवाई हेतु निदेश दिया गया।

5. उपभागीय ज्ञापांक-2460 दिनांक-13.08.2026 द्वारा संसूचित दिनांक-13.08.2026 को सम्पन्न तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की निर्णय के विरुद्ध विषयांकित कार्य की निविदा के तकनीकी बीड में असफल निविदाकार यथा (1) Rishi Builders (India) Pvt. Ltd. के पत्रांक-RBPL/2026-27/055, दिनांक- 14.08.2026 एवं (2) M/s Vinod Kumar Jain के पत्रांक-VKJ/OPRMC/002, दिनांक-15.08.2026 के द्वारा परिवाद/अभ्यावेदन/आपत्ति समर्पित किये जाने के परिप्रेक्ष्य में मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-2579(अनु०) दिनांक-24.08.2026 द्वारा परिवाद पर दिनांक-21.08.2026 को आहूत तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही एवं अनुशंसा समर्पित की गई है।

6. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति के उक्त निर्णय के विरुद्ध तकनीकी बीड में असफल निविदाकार (i) Rishi Builders (India) Pvt. Ltd. के पत्रांक-RBPL/2026-27/055, दिनांक-14.08.2026 एवं (ii) M/s Vinod Kumar Jain के पत्रांक-VKJ/OPRMC/002, दिनांक-15.08.2026 के द्वारा आपत्ति प्राप्त हुआ है।

#### परिवाद / आपत्ति की समीक्षा :-

| परिवाद / आपत्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | समीक्षा                                                                                                                                                                                                             | परिवाद समिति की अनुशंसा                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <p>1. <b>Rishi Builders (India) Pvt. Ltd. द्वारा दिये गये आपत्ति :-</b></p> <p>उपर्युक्त विषय के संबंध में निवेदन पूर्वक कहना है कि हमारे कम्पनी द्वारा विषयांकित निविदा में भाग लिया गया है और हमारे निविदा कागजातों के मूल्यांकन के बाद दिनांक-13.08.2026 को निर्गत कार्रवाई की प्रति जो हमें उपलब्ध कराया गया है, जो अवलोकन करना चाहेंगे, जिसके कंडिका - 5 (5.1) में यह कहा गया है कि "पथ प्रमण्डल, ढाका अन्तर्गत पथ आस्तियों के अनुरक्षण हेतु दीर्घकालीन निष्पादन और उपलब्धि आधारित पथ आस्तियाँ अनुरक्षण संविदा (Long Term Output &amp; Performance Based Road Asset Maintenance Contract) प्रणाली के तहत राज्य अन्तर्गत Package No.- 02 B /OPRMC-III कार्य की निविदा में सभी निविदाकार यथा (i) Bhartia - Barhonia 'JV' को MBD के ITB Clause-17 एवं NIT के क्रमांक- 18 के आलोक में, (ii) Rishi Builders (India) Pvt. Ltd. को MBD के Section 3: Clause 1.2.3, Section 4E.10 एवं NIT के क्रमांक - 39 के आलोक में एवं (iii) M/s Vinod Kumar Jain को MBD के Section 3: Clause 1.2.3, Section 4E.10 एवं NIT के क्रमांक - 39 एवं NIT के क्रमांक- 28 के आलोक में तकनीकी बीड में असफल घोषित करने का निर्णय</p> | <p>निविदाकार द्वारा Uploaded Existing Commitment की सूची के अनुसार MBD के Section 4E.10 (c) एवं NIT के क्रमांक- 39 के आलोक में चार कार्यों का संबंधित Engineer-in-Charge द्वारा निर्गत/ हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र</p> | <p>तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा से सहमत।</p> |

लिया जाता है।”

इस संबंध में निवेदनपूर्वक कहना है कि :-

(1) हमारे निविदा को असफल जिस आधार पर किया गया है, उसमें मात्र एक आधार यह है कि हमारे द्वारा Uploaded Existing commitment में अंकित 04 कार्यों से संबंधित Engineer in charge द्वारा निर्गत एवं हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र निविदा के साथ अपलोड नहीं किया गया है।

(2) इस संबंध में मेरे द्वारा Uploaded 04 कार्यों जो निम्नांकित हैं और Uploaded Document के क्रमांक -4, 5, 6 एवं 7 पर अंकित है, कृपया उसका अवलोकन करना चाहेंगे, जो निम्नवत है :-

| क्र० | एकरारनामा सं०                                                    | एकरारनामा से संबंधित कार्यपालक अभियंता                        | सम्पादित किये गये कार्य की राशि | कार्य जो किया जाना बाकि है कि राशि |
|------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 1    | 08/RRSMP/CMBD/ 2025-26 Dated 04-07-2025                          | Executive Engineer, RWD, Works Division, Areraj, Bihar        | 7,45,45,747/-                   | 13,91, 28,599.02/-                 |
| 2    | L.O.A Issue Date 08/01/2024 Work Order/Appointed Date 16-03-2026 | P.D, P.I.U, NHAI, Chhpra                                      |                                 | 20,71,00,000/-                     |
| 3    | L.O.A Issue Date 16/11/2023 Work Order/Appointed Date 04-01-2026 | P.D, P.I.U.NHAI, Chhpra                                       |                                 | 24,01,00,000/-                     |
| 4    | 27/CMBD/2025-26 Dated 08-07-2025                                 | Executive Engineer, RWD, Works Division, Narkatiyaganj, Bihar | 8,06,36,183.60/-                | 18,93,92,363.40/-                  |

उपरोक्त कड़िका से स्पष्ट होगा कि अभी दो कार्य में कोई भुगतान भी नहीं हुआ है।

(3) जहाँ तक हमारे सूचना नहीं दिये जाने का प्रश्न है, इस संबंध में हमारे द्वारा संबंधित सभी कार्यों के एकरारनामा संख्या एवं अन्य सारी सूचनाएँ अंकित की गयी है, तो ऐसी स्थिति में यह निर्णय लेना कि Engineer-in-charge द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र अपलोड नहीं है, NIT एवं CMBD के सुसंगत धाराओं के आलोक में नहीं है, पर पुनर्विचार करना चाहेंगे।

(4) जहाँ तक मुझे ज्ञात है, जो भी कागजातों को हमारे द्वारा अपलोड नहीं किया गया था, उन सारे कार्यों के संबंध में संबंधित संस्थानों से उसकी सत्यता की जाँच कराकर सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त भी हुआ है। उक्त कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होगा कि

Upload नहीं किया गया है।

साथ ही

विभागीय

पत्रांक— 6158,

दिनांक— 09.07.

2014 के अनुसार

निविदाकारों को

Clarification &

Modification

का अवसर उन्हीं

कागजातों/

अभिलेखों के

लिए दी जायेगी

जो निविदा प्राप्ति

की तिथि के पूर्व

के होंगे तथा

निविदा के साथ

अपलोड होंगे।

अतः

आपत्ति का यह

बिन्दु अमान्य

किया जा सकता

है।

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <p>चारो प्रमाण-पत्र Bid Submission Date के पूर्व ही निर्गत हैं। पुनः उन प्रमाण पत्रों की छायाप्रति संलग्न है, जिसे परिशिष्ट-1, 2, एवं 3 पर देखा जा सकता है।</p> <p>(5) इस संबंध में मैं आपका ध्यान MBD के कंडिका 22 पर आकृष्ट करना चाहता हूँ जो Clarification of bids से संबंधित है। उसके उप कंडिका-22.1 में अंकित है कि:- "To assist in the examination, evaluation, and comparison of the bids, and qualification of the Bidders, the Employer may, at its discretion, ask any Bidder for a clarification of its bid. Any clarification submitted by a Bidder that is not in response to a request by the Employer shall not be considered. The employer's request for clarification and the response shall be in writing. No change in the prices or substance of the bid shall be sought, offered, or permitted, except to confirm the correction of arithmetic errors discovered by the Employer in the evaluation of the bids, in accordance with ITB 26."</p> <p>उक्त नियम के आलोक में भी भवदीय हमें एक मौका निविदा के तकनीकी मूल्यांकन से पूर्व देने की कृपा करते तो उक्त अल्प आपत्ति का भी निराकरण कराया जा सकता था। विदित हो कि निविदा प्रकरण के साथ लगभग 500 से अधिक कागजातों को अपलोड किया जाना था, तो ऐसे स्थिति में ऐसा हो सकता है कि उक्त तथाकथित 04 कार्यों के मामले में वांछित कागजात अपलोड नहीं किया जा सका और उक्त आलोक में हमारे निविदा को अमान्य किये जाने के बिन्दु पर पुनः विचार करना चाहेंगे।</p> <p>(6) इस संबंध में मैं आपका ध्यान पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत पत्रांक 6158 दिनांक 09.07.2014 की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ, जो SBD/MBD/CMBD/NH पर आधारित निविदाओं के तकनीकी निष्पादन हेतु Eligibility Criteria से संबंधित है, के आलोक में भी भवदीय के स्तर पर निर्णय अपेक्षित है।</p> <p>अतः अनुरोध है कि उपरोक्त तथ्यों पर विचार करते हुए विधिसंगत निर्णय लेने की कृपा की जाय।</p> |                                                                                                                        |                                                       |
| <p>2. <b>M/s Vinod Kumar Jain द्वारा दिये गये आपत्ति :-</b></p> <p>Representation has been sought vide letter cited under reference-1 communicated vide mail dated 14.08.2026 in respect of alleged deficiency in compliance of instructions by the Contractor as bidder in submission of bids for the aforementioned works invited through NIT (S) under reference.</p> <p>2 The Contractor's/Bidder's bid has been considered non responsive primarily on following issues, in respect of which Contractor's /Bidder's representation is submitted below-</p> <p>(i) 25/- Advocate welfare stamp is not attached with Affidavit. :-</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>NIT के क्रमांक-28 आलोक निविदाकार शपथ-पत्र के साथ Rs. 25/- का Advocate Welfare Stamp Affixed करना था, जो कि नहीं</p> | <p>तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा से सहमत।</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <p>An advocate Welfare stamp is not governed by the Indian Stamp Act, 1899. Instead, it is mandated by specific State Advocates' Welfare Fund Acts or the central Advocates' Welfare Fund Act, 2001, and it is legally required to be affixed on a Vakalatnama, not strictly on an ordinary affidavit to make the affidavit valid.</p> <p>The welfare stamp is a statutory requirement meant to be pasted and cancelled on a Vakalatnama (the authorization document given to a lawyer) to fund the welfare and social security of advocates.</p> <p>Whereas, the validity of an affidavit itself falls under the Code of Civil Procedure (CPC), the Oaths Act, and the general stamp duty requirements for affidavits under the Indian Stamp Act, 1899 (or state amendments), rather than advocate welfare legislation.</p> <p>Since the submitted Affidavit is not a Vakalatnama mandated to be affixed under specific State Advocates' Welfare Fund Act, 2001, rather it is a document falls under the Code or Civil Procedure (CPC), the Oaths Act, and the general stamp duty requirements for affidavits under the Indian Stamp Act, 1899 (or state amendments), hence Advocate Welfare Stamp is not required to be affixed on the Affidavit.</p> <p>Therefore, the Contractor's/Bidder's Bid cannot be considered as "non-responsive" on this ground.</p> | <p>किया गया।</p> <p>अतः आपत्ति का यह बिन्दु अमान्य किया जा सकता है।</p>                                                                                                                                                                                       |                                                       |
| <p>(ii) 01 Work Supporting certificate issued by Engineer-in-Charge not attached :-</p> <p>The Contractor/Bidder in said respect has submitted</p> <p>(i) Work Orders for the projects billing not yet done;</p> <p>(ii) Work supporting certificate issued by Engineer-in-Charge</p> <p>(iii) pass orders of latest Running Account Bills works under progress</p> <p>The documents submitted in respect of aforementioned (i) and (ii) are not in dispute Regarding 01 work for which the Engineer-in-Charge's certificate could not be obtained due to unavoidable reasons, the submitted Running Account Bills fulfil the requirement for which the supporting certificate from the Engineer-in-Charge was sought.</p> <p>Since the Engineer-in-Charge's certificate has already been submitted for the majority of the works, non-submission of only 01 such certificates due to unavoidable reasons cannot be grounds for declaring the bid non-responsive.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>निविदाकार द्वारा MBD के Section 4E.10 (c) एवं NIT के क्रमांक— 39 के आलोक में Uploaded Existing Commitment की सूची के क्रमांक — 5 पर अंकित कार्य "PROVN OF OTM ACCN AND ALLIED INFRA FOR KLPAT NASIRABAD" से संबंधित Engineer-in-Charge द्वारा निर्गत /</p> | <p>तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा से सहमत।</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                             |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Therefore, the Contractor's/Bidder's Bis cannot be considered as "non-responsive" on this ground.                                                                                                                                                                                          | हस्ताक्षरित<br>प्रमाण-पत्र                                                                  |  |
| 3. Therefore on the above representation made by the contractor/Bidder, it is with atmost respect and humility in the interest of public, competitiveness and justice requested to please be kind to consider the Contractor's/Bidder's Bids responsive for opening of its Financial Bids. | Upload नहीं<br>किया गया है।<br><br>अतः आपत्ति का<br>यह बिन्दु अमान्य<br>किया जा सकता<br>है। |  |

**7. परिवाद की समीक्षा एवं तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा :-**

तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा समीक्षोपरांत एवं सम्यक विचारोपरान्त निविदाकार (i) Rishi Builders (India) Pvt. Ltd. के पत्रांक— RBPL/2026-27/055, दिनांक— 14.08.2026 एवं (ii) M/s Vinod Kumar Jain के पत्रांक— VKJ/OPRMC/002, दिनांक— 15.08.2026 द्वारा दिए गए आपत्ति को उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में अमान्य करते हुए उपभागीय ज्ञापांक— 2460, दिनांक— 13.08.2026 द्वारा संसूचित दिनांक—13.08.2026 को सम्पन्न तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक में लिये गये सफल/असफल के निर्णय को यथावत रखा जा सकता है।

4

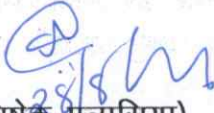
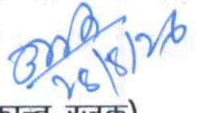
20

2008/28/8/24

8. परिवाद समिति का निर्णय :-

- (i) विषयांकित कार्य की निविदा के तकनीकी बीड में असफल निविदाकार यथा (1) Rishi Builders (India) Pvt. Ltd. के पत्रांक—RBPL/2026-27/055, दिनांक—14.08.2026 एवं (2) M/s Vinod Kumar Jain के पत्रांक—VKJ/OPRMC/002, दिनांक—15.08.2026 के द्वारा दिए गए परिवाद/आपत्ति को अमान्य करने का निर्णय लिया जाता है।
- (ii) सभी तीनों निविदाकार यथा (1) Bhartia - Barhonia 'JV' को MBD के ITB Clause-17 एवं NIT के क्रमांक— 18 के आलोक में, (2) Rishi Builders (India) Pvt. Ltd. को MBD के Section 3: Clause 1.2.3 Section 4E.10 एवं NIT के क्रमांक — 39 के आलोक में एवं (3) M/s Vinod Kumar Jain को MBD के Section 3: Clause 1.2.3, Section 4E.10 एवं NIT के क्रमांक — 39 एवं NIT के क्रमांक— 28 के आलोक में तकनीकी बीड में असफल घोषित करने का निर्णय लिया जाता है।
- (iii) विषयांकित कार्य के निविदा में किसी भी निविदाकार के सफल नहीं होने के फलस्वरूप निविदा को रद्द कर पुनर्निविदा आमंत्रित करने का निदेश मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को दिया जाता है।
- (iv) उपभागीय ज्ञापांक—2460 दिनांक—13.08.2026 द्वारा संसूचित दिनांक—13.08.2026 को सम्पन्न तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति के निर्णय को यथावत् रखा जाय।
- (v) मुख्य अभियंता, उत्तर संबंधित परिवादी बीडर को समिति के निर्णय से अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

8.1 परिवाद समिति की इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाइट पर भी डाली जाय।

|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>(सुनील कुमार सुमन)<br>मुख्य अभियंता,<br>उत्तर, पथ निर्माण विभाग,<br>बिहार, पटना। | <br>(राजेश कुमार गुप्ता)<br>मुख्य अभियंता, संविदा<br>प्रबंधन, नीतिगत मामले<br>एवं लेखा परीक्षा,<br>पथ निर्माण विभाग,<br>बिहार, पटना। | <br>(अभिषेक पलासिया)<br>संयुक्त सचिव,<br>पथ निर्माण विभाग,<br>बिहार, पटना। | <br>(उमा कान्त रजक)<br>अभियंता प्रमुख—सह—अपर<br>आयुक्त—सह—विशेष सचिव<br>(कार्य प्रबंधन),<br>पथ निर्माण विभाग,<br>बिहार, पटना। |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ज्ञापांक: प्र0-7/निविदा-03-130/2026 5991(E)

पटना, दिनांक 29/8/2026

प्रतिलिपि:— मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/ मुख्य अभियंता(अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/ आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
(उमा कान्त रजक)

अभियंता प्रमुख—सह—अपर आयुक्त—सह—विशेष सचिव(कार्य प्रबंधन),  
पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना।